



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001  
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.  
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं०: 1687 -मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2011-15एन०जी०/2001

दिनांक : 29 जुलाई, 2011

### कार्यालय ज्ञाप

**विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति।**

एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 244-मा०सं०प्र०-(02)/उ०नि०लि०/2011-15एन०जी०/2001, दिनांक 08.02.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०: सा-3-649/दस-2011-301/2000टी०सी०, दिनांक 11.07.2011 में निहित प्राविधानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2011 से बढ़ी हुई महंगाई राहत की 06(छः) प्रतिशत की एक और किशत दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.01.11 से 06(छः) प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 45(पैंतालिस) प्रतिशत की दर बढ़कर 51(इक्यावन) प्रतिशत हो जायेगी।

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा।

4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं०: 1054-डब्लू०सी०/राविप-औ०सं०-19-14(23)एफ-85, दिनांक 10.06.88 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त)/महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्यलेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5. महंगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कमशः 2/-

सं: 1687 -(1)-मा0सं0प्र0-02/उनिलि/2011, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (4) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ)/पनकी(कानपुर) ।
- (5) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (6) मुख्य अभियन्ता, (पी0पी0एम0एम0)/(तापीय परिचालन)/(मा0सं0)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (7) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (8) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (9) समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (10) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (11) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (12) समस्त उप सचिव/अधिशाली अभियन्ता/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (13) वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशासन)/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा)/(पेंशन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (14) कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (15) अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर आपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ ।
- (16) कट फाइल ।

आज्ञा से,  
  
(वी0पी0 कटियार)  
अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0-02)